न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-अ0स0-06/ग0आ0नि0-05 (दिव्यां0)/2019 581/आ.नि.श. दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी नगर आयुक्त, बिहार।
2. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार।
3. सभी अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु अनुमण्डल स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत (A) पंचायत स्तर/वार्ड स्तर के दिव्यांगजन समूह (B) प्रखण्ड स्तर/अंचल स्तर के दिव्यांगजन समूह एवं (C) अनुमण्डल स्तर/नगर निगम स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका।**

महाशय,

उक्त विषय में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0को0 दि0-01.11.2019 जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह के गठन का निर्देश दिया गया है, का संदर्भ देते हुए उल्लेख करना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त अधिनियम है। अधिनियम,2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तर दिव्यांगता समिति के गठन का प्रावधान है तथा इससे संबद्ध बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017(आगे से नियमावली,2017) के अध्याय-VIII, कंडिका-22 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत प्रावधानित जिला स्तरीय समिति के स्वरूप का निर्धारण किया गया है :-

जिला स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में निम्न को भी (अन्य के साथ) शामिल किया जाना है।

1	अधिनियम की धारा-2 उप-धारा (य, ग) के अन्तर्गत परिभाषित दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगजन	[नियमावली,17 की कंडिका-22(7)]
2	चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ	[नियमावली,17 की कंडिका-22(9)]

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम,2016 की धारा-2, उपधारा-(य, ग) व तत्संबद्ध अनुसूची में कुल-21 प्रकार की दिव्यांगताओं को "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता-Specified Disabilities" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय समिति की सदस्य के रूप में दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ को चक्रानुक्रम आधार पर शामिल किये जाने के विहित नियम अनुपालन के सम्बन्ध में अधिनियम,2016 में परिभाषित सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता को चक्रानुक्रम अनुपालन शामिल किया जाना है।

जिला स्तरीय समिति की सदस्य के रूप में दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने हेतु दिव्यांगजनों को चक्रानुक्रम आधार पर शामिल किये जाने के सम्बन्ध में भी अधिनियम,2016 में परिभाषित सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता को चक्रानुक्रम अनुपालन शामिल किया जाना है।

क्रमशः......

Scanned with CamScanner

अधिनियम,2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तर दिव्यांगता समिति के गठन तथा इससे सबद्ध बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के अध्याय-VIII, कंडिका-22 अन्तर्गत प्रावधानित जिला स्तरीय समिति के निर्धारित स्वरूप के सम्यक अनुपालन के तहत (A) पंचायत स्तर के दिव्यांगजन समूह (B) प्रखण्ड स्तर के दिव्यांगजन समूह (C) अनुमण्डल स्तर के दिव्यांगजन समूह एवं (D) जिला स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन किये जाने की आवश्यकता है।

(A) <u>पंचायत स्तर/वार्ड स्तर के दिव्यांगजन समूह</u> (संलग्न प्रपत्र-1/प्रपत्र-1(क) के अनुरूप)

धारा-72 के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय समूह बनना है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (ZC, Section-2) 21 प्रकार के दिव्यांग में से कम से कम 5 प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे-पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविका, ए0एन0एम0 कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे - मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्त्ता आदि के साथ पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है (इससे सम्बन्धित प्रपत्र-1 संलग्न किया गया है)। इसकी आवधिकता (Periodicity) महीने में कम से कम दो बार होगी। अंकित करना है कि वार्ड स्तर [प्रपत्र-1(क)] के दिव्यांगजन समूह गठन की स्थिति में प्रपत्र-1 में शामिल पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समतुल्य वार्ड स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिस्थापित कर लिया जाय।

(B) <u>प्रखण्ड स्तर/अंचल स्तर के दिव्यांगजन समूह</u> (संलग्न प्रपत्र-2/प्रपत्र-2(क) के अनुरूप)

पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। इससे सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक में प्रखण्ड स्तर के विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे (इससे सम्बन्धित प्रपत्र-2 संलग्न किया गया है)। इसकी आवधिकता (Periodicity) महीने में कम से कम एक बार होगी। अंकित करना है कि अंचल स्तर [प्रपत्र-2(क)] के दिव्यांगजन समूह गठन की स्थिति में प्रपत्र-2 में शामिल प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समतुल्य अंचल स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिस्थापित कर लिया जाय।

(C) <u>अनुमण्डल स्तर/नगर निगम स्तर के दिव्यांगजन समूह</u> (संलग्न प्रपत्र-3/प्रपत्र-3(क) के अनुरूप)

प्रखण्ड स्तर समूह में से प्रत्येक प्रखण्ड के दिव्यांगजन समूहों को समेकित करते हुए अनुमण्डल स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। इससे सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक में अनुमण्डल स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे-अध्यक्ष के रूप में अनुमण्डलाधिकारी, अपर अनुमण्डलाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी तथा दिव्यांगता क्षेत्र में अनुमण्डल अन्तर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/समूहों के प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत चक्रानुक्रम आधारित सामाजिक कार्यकर्त्ता, चक्रानुक्रम आधारित दो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अधिनियम की धारा-2, उप-धारा (ब) के अन्तर्गत परिभाषित दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगजन सदस्य के रूप में प्रतिनिधि होंगे तथा 21 प्रकार की दिव्यांगता में से कम से कम 3 प्रकार की दिव्यांग/चिकित्सा विशेषज्ञ को भी चक्रानुक्रम आधार पर बैठक में शामिल किया जा सकता है (इससे सम्बन्धित प्रपत्र-3 संलग्न किया गया है)। इसकी आवधिकता (Periodicity) दो महीने में कम से कम एक बार होगी। अंकित करना है कि नगर निगम स्तर [प्रपत्र-3(क)] के दिव्यांगजन समूह गठन की स्थिति में प्रपत्र-3 में शामिल अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समतुल्य नगर निगम स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिस्थापित कर लिया जाय।

(D) <u>जिला स्तर के दिव्यांगजन समूह</u> (संलग्न प्रपत्र-4 के अनुरूप)

प्रखण्ड स्तर समूह में से कम से कम पाँच प्रखण्ड के प्रतिनिधि दिव्यांगजन का चक्रानुक्रम में जिला स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। इससे सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक में जिला स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे:-जिला पदाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सदस्य सचिव के रूप में, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, रेड क्रॉस सोसायटी के प्रतिनिधि, दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/समूहों के प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित प्रतिनिधि, राष्ट्रीय न्यास अंतर्गत गठित लोकल लेवल कमिटी के प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत चक्रानुक्रम आधारित सामाजिक कार्यकर्ता, चक्रानुक्रम आधारित दो अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अधिनियम की धारा-2, उप-धारा (ब) के अन्तर्गत परिभाषित दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित दिव्यांगजन सदस्य के रूप में प्रतिनिधि होंगे तथा 21 प्रकार की दिव्यांगता में से कम से कम 4 प्रकार की दिव्यांग/चिकित्सा विशेषज्ञ को भी बैठक में शामिल किया जा सकता है। इसकी आवधिकता (Periodicity) दो महीने में कम से कम एक बार होगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी-सह-अपर आयुक्त निःशक्तता जिला स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन, इसकी बैठकों एवं सम्बन्धित अनुश्रवण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0को0 दि0-01.11.2019 का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

Scanned with CamScanner

समस्त जिलों एवं अनुमण्डल स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह में से इस कार्यालय द्वारा चयनित प्रतिनिधि दिव्यांगजन/दिव्यांगजनों को इस कार्यालय द्वारा यथा आवश्यकता/उच्च निर्देश के आलोक में अधिनियम,2016 के सम्यक अनुपालन हेतु आयोजित विविध कार्यक्रम/बैठक/कार्यशाला/कान्फ्रेन्स/सेमिनार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान राज्य के सभी जिलों में विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक तथा दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के जिलावार सह प्रखण्डवार आयोजन के क्रम में प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन स्थिति की समीक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने तथा मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली को प्रतिवेदन समर्पित करने की अनिवार्यता स्थिति के आलोक में राज्य आयुक्त निःशक्तता में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पंचायत स्तरीय समीक्षात्मक कार्य निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तदनुसार इस समीक्षात्मक कार्यक्रम में राज्य स्थित सभी 8471 पंचायतों को शामिल किया जाना है।

उपरोक्त वर्णित भावी लक्ष्य के अनुरूप माह अप्रैल'2020 से राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार द्वारा अनुमण्डल स्थित किसी पंचायत अथवा पंचायतों का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस औचक निरीक्षण के दौरान राज्य द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं, दिव्यांगजन समूह के गठन/बैठक की स्थिति तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के विविध धाराओं के अनुपालन स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

तदालोक में अनुरोध है कि अनुमण्डल के अनुमण्डल पुलिस अधिकारी (एस0डी0पी0ओ0), अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शामिल सभी थानाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में सूचित करते हुए अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर एवं अनुमण्डल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रदान करते हुए विविध स्तरों पर दिव्यांगजन समूहों के गठन का कार्य मार्च'2020 तक पूर्ण करने की कृपा की जाय एवं प्रत्येक स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह एवं आयोजित बैठकों से सम्बन्धित प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-प्रपत्र-1, 2, एवं 3 संलग्न।

विश्वासभाजन
(ह०) 28/02/20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स0क0-05/स0अ0नि0-05 (दि0क0)/2019 581/आ.नि.श. दिनांक 28 फरवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों के गठन में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा की जाय।

(ह०) 28/02/20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स0क0-05/स0अ0नि0-05 (दि0क0)/2019 581/आ.नि.श. दिनांक 28 फरवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों के गठन में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0श0 दि0-01.11.2019 का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा की जाय।

(ह०) 28/02/20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स0क0-05/स0अ0नि0-05 (दि0क0)/2019 581/आ.नि.श. दिनांक 28 फरवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों के गठन सम्बन्धी कार्रवाई का स्वयं अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित मासिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

(ह०) 28/02/20
अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

क्रमशः.......

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक-सं0स0-06/आ0नि0-05 (दि0आ0)/2019 581/आ.नि.को. दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:-सभी अनुमण्डल पुलिस अधिकारी (एस0डी0पी0ओ0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों का गठन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाय।

28/02/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0स0-06/आ0नि0-05 (दि0आ0)/2019 581/आ.नि.को. दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पंचायत स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय एवं अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन समूहों का गठन में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0को0 दि0-01.11.2019 का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा की जाय।

28/02/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0स0-06/आ0नि0-05 (दि0आ0)/2019 581/आ.नि.को. दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:-सभी थानाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपरोक्तानुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में अल्पकालिक सूचना के आधार पर कार्रवाई अपेक्षित होगी।

28/02/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0स0-06/आ0नि0-05 (दि0आ0)/2019 581/आ.नि.को. दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner